कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 289/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.08.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 23.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना- कप्तानगंज: चोरी की 04 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी की 02 मोटरसाइकिल, आभूषण, नकदी व अवैध असलहा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 23.09.2025 को, उ0नि0 प्रिंस मिश्रा, का0 बृजेश गौड़, का0 अप्पू कुमार, और का0 अजय कुमार यादव के साथ कप्तानगंज कस्बे में मौजूद थे कि उन्हें एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल पर मोलनापुर बाजार में घूम रहा था और गहने बेचने की कोशिश कर रहा था। मुखबिर ने बताया कि वह व्यक्ति मोटरसाइकिल से छाता का पुरा की ओर आ रहा है और उसे जल्दी पकड़ा जा सकता है ।पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी निजी मोटरसाइकिलों पर मुखबिर के साथ छाता का पुरा की ओर चल दिए। जैसे ही वे छाता का पुरा ओवर ब्रिज के पास पहुंचे, उन्हें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। मुखबिर ने उस व्यक्ति की पहचान की और वहां से चला गया। पुलिस ने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने भागने का प्रयास किया। जब उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई, तो पुलिस ने उसे घेरकर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर, पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम विकास यादव पुत्र सुरेश यादव, निवासी ग्राम पिपरी, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष बताया। उसने यह भी बताया कि वह पकड़े जाने के डर से भाग रहा था क्योंकि उसके पास एक अवैध कट्टा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और एक पायल थी ।अभियुक्त को अपराध का बोध कराकर नियमानुसार दिनांक 23.09.2025 समय 04.00 बजे छाता का पुरा ओवर ब्रिज के पास से हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि पायल और पैसा: उसने जनवरी 2025 में ग्राम बांसी जप्ती माफी में एक बंद घर से एक सोने का झुमका, एक सोने की चेन, एक जोड़ी पायल और ₹50,000 नकद चुराए थे। उसने बताया कि उसने नकद पैसे और गहने बेच दिए थे, केवल यह पायल बची थी जिसे वह बेचने निकला था। चोरी के संबंध में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0- 09/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2) BNS थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत है।

•₹2,500 नकद: उसने यह पैसा अगस्त 2025 में सेहदा से चुराए गए एक ई-रिक्शा की बैटरी को ₹3,000 में बेचकर प्राप्त किया था। उसने ई-रिक्शा को निजामाबाद क्षेत्र में छोड़ दिया था, और इस चोरी के संबंध में थाना कंधरापुर में मु0अ0सं0- 251/25, धारा- 303(2) बीएनएस के तहत एक मुकदमा दर्ज है।

•मोटरसाइकिल: उसने बताया कि उसने यह मोटरसाइकिल मार्च 2025 में आजमगढ़ कचहरी गेट के पास से चुराई थी। पुलिस ने चेसिस नंबर MBLHAW12XMHA20611 के माध्यम से जांच की और पाया कि यह मोटरसाइकिल सुलेमान खान पुत्र इस्तेयाक खान के नाम पर पंजीकृत है, और इसकी चोरी के संबंध में थाना कोतवाली में मु0अ0सं0- 131/25, धारा- 303(2) बीएनएस के तहत एक मुकदमा दर्ज है।

•दूसरी मोटरसाइकिल: कड़ाई से पूछताछ करने पर, उसने स्वीकार किया कि उसने एक और मोटरसाइकिल भवरनाथ मंदिर के पास से चुराई थी। उसने पुलिस को जफरामऊ गांव के जंगल में छिपाकर रखी हुई बिना नंबर प्लेट की एक और चोरी की मोटरसाइकिल (चेसिस नंबर MBLHAW12XMHMA8317) बरामद करवाई। चेसिस नंबर की जांच करने पर, पता चला कि यह मोटरसाइकिल दशरथ पुत्र सुबेदार के नाम पर पंजीकृत है और इसकी चोरी के संबंध में थाना कंधरापुर में मु0अ0सं0- 293/25, धारा- 303(2) बीएनएस के तहत एक मुकदमा दर्ज है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.विकास यादव पुत्र सुरेश यादव, निवासी ग्राम पिपरी, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़,

बरामदगी का विवरण-

1-एक .315 बोर का तमंचा और दाईं जेब से एक जिंदा कारतूस

2-एक जोड़ी सफेद धातु की पायल और

3-₹2,500 नकद भी मिले

6.पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 286/2025 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0- 09/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2) BNS थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2-मु0अ0सं0- 251/25, धारा- 303(2) बीएनएस थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़
3-मु0अ0सं0- 131/25, धारा- 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
4-मु0अ0सं0- 293/25, धारा- 303(2) बीएनएस थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

•उ0नि0 प्रिंस मिश्रा थाना कप्तानगंज आजमगढ़
•का0 बृजेश गौड़ थाना कप्तानगंज आजमगढ़
•का0 अप्पू कुमार थाना कप्तानगंज आजमगढ़
•का0 अजय कुमार यादव थाना कप्तानगंज आजमगढ़

02.थाना-फूलपुर:अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त बहाउद्दीनपुर मोड के पास स गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बरामद किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 23-09-2025 को उ०नि० रज्जन द्विवेदी थाना फूलपुर,आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति उपेन्द्र यादव उर्फ सोनू यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी ग्राम जमीन मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को **ग्राम बहाउद्दीनपुर मोड़ के पास बने मकान के सामने से समय करीब 01.25 बजे** एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरादमदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 452/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1 उपेन्द्र यादव उर्फ सोनू यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी ग्राम जमीन मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 452/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहासः-

उपेन्द्र यादव उर्फ सोनू यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी ग्राम जमीन मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	251/2023	317(2) बीएनएस	जीयनपुर	आजमगढ़
2	252/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़
3	452/2025	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1-उ०नि० रज्जन द्विवेदी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
2-का० दयाशंकर, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
3-का० अनुपम, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
4-का० रजनीश कुमार, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
5-का० अरविन्द कुमार, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

03.थाना-कोतवाली: अजमतपुर गांव के पास स्थित गायत्री माँ मंदिर के पास नदी के किनारे से चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहासः-

वादी वेद प्रकाश मिश्रा पुत्र धरणी धर मिश्रा ग्राम कोलपाण्डेय पो0 भंवरनाथ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 21.09.2025 को रात्रि मे कुछ अज्ञात चोरों उनके घर से इनवर्टर बैटरी,पेट्रोमैक्स, जेवरात, सिक्के, सूटकेस, भगवानकृष्ण-राधा की पितल की मुर्ति और कुछ अन्य चांदी की मुर्तियां,जूसर, बर्तन,(कूकर,स्टील की प्लेटे), वायरिंग का तार, गैस चुल्हा तथा कुछ महंगी घड़िया भी चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 479/25 धारा 305,331(4),317(2),3(5) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 23.09.2025 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गये सामान को बरामद व चोर 1. संतोष कुमार पुत्र दयाली दास निवासी तालिमपुर थाना मधुबन जिला मोतिहारी राज्य बिहार उम्र 22 वर्ष, 2. श्याम बाबू पुत्र मंचन माझी निवासी तालिम थाना मधुबन जिला मोतिहारी राज्य बिहार उम्र 23 वर्ष, 3. मल्लू ठठेरा पुत्र स्व0 छेदी ठठेरा ग्राम चकिया थाना चकिया जनपद चन्दौली हाल पता रामजन्म ठठेरा के घर जाफरपुर कासीराम आवास ब्लाक 11 कमरा नं0 125 थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को समय करीब 00.15 बजे अजमतपुर गांव के पास स्थित गायत्री माँ मंदिर के पास नदी के किनारे से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरणः-

1. संतोष कुमार पुत्र दयाली दास निवासी तालिमपुर थाना मधुबन जिला मोतिहारी राज्य बिहार उम्र 22 वर्ष,
2. श्याम बाबू पुत्र मंचन माझी निवासी तालिम थाना मधुबन जिला मोतिहारी राज्य बिहार उम्र 23 वर्ष,
3. मल्लू ठठेरा पुत्र स्व0 छेदी ठठेरा ग्राम चकिया थाना चकिया जनपद चन्दौली हाल पता रामजन्म ठठेरा के घर जाफरपुर कासीराम आवास ब्लाक 11 कमरा नं0 125 थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद अटैची
02. एक अदद मूर्ति राधा कृष्ण की पीली धातु
03. एक अदद मूर्ति सफेद धातु लक्ष्मी जी की
04. एक अदद सावर
05. पांच अदद टोटी
06. एक अदद पेट्रोमैक्स सिलेन्डर,
07. एक अदद मिनी पंखा
08. एक अदद सिलिंग फैन बिना पंखुड़ी के
09. एक अदद लोहे का पुराना चूल्हा पाईप लगा
10. एक अदद मिक्सी मशीन
11. एक अदद जूसर जार
12. आठ अदद बर्तन
13. एक अदद अदद हथौड़ी
14. एक अदद अदद पेंचकस

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 479/25 धारा 305,331(4),317(2),3(5) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

01. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
02. उ0नि0 अभिषेक कुमार कुशवाहा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
03. हे0कां0 सर्वेश विक्रम यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
04. कां0 अभय कुमार सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
05. कां0 नीरज कुमार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
06. कां0 संदीप यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
07. कां0 संदीप विश्वकर्मा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

04.थाना-जहानागंजः युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20/07/2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त रोहित राजभर पुत्र राधेश्याम राजभर ग्राम करनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 240/25 धारा 137(2), 87 BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 23/09/25 को उ0नि0 शिवम त्यागी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रोहित राजभर पुत्र राधेश्याम राजभर ग्राम करनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष को महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय मोड़ से समय करीब 10.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 240/25 धारा 137(2)/87/64 BNS,व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. रोहित राजभर पुत्र राधेश्याम राजभर ग्राम करनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01. उ0नि0 शिवम त्यागी, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
02. का0 शिवम चौधरी, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
03. का0 अमरजीत यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

05.थाना निजामाबादः अवैध सलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण –

कल दिनांक 22.09.25 को उच्चाधिकारियों के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु दिये गये आदेश /निर्देश के अनुपालन में थाना निजामाबाद के उ0नि0 मो0 शमशाद खान मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति शंकरडीह के पास पर खड़ा है जिसके पास अवैध तंमचा है मुखबिर खास की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति को मौके से पकड़ लिया गया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अभिषेक यादव पुत्र स्व0 लालचन्द्र यादव निवासी ग्राम पलहनी थाना सिधारी जिला आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष बताया। जिसकी जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कार्य धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध पाकर कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक 22.09.25 को समय 21.49 बजे हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 326/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-अभिषेक यादव पुत्र स्व0 लालचन्द्र यादव निवासी ग्राम पलहनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ

बरामदगी

1-एक अदद तमंचा नाजायज व दो अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 मो0 शमशाद खान 2. का0 रुपेश पासवान 3. का0 मुकेश विश्वकर्मा 4. का0 सुमित सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

06.थाना- कोतवालीः चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी पीयूष सिंह निवासी म0न0 29, सिविल लाईन नगर पालिका थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 21.09.2025 को दोपहर 2 बजे मैने अपनी दो पहिया वाहन स्पलैण्डर प्लस UP50BA2608 रैदोपुर स्थित तृप्ति माडल शाप के सामने खड़ी किया था, जो चोरी हो गयी है, इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 480/25 धारा 303(2) बीएनएस दि. 22.9.25 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 23.9.25 को उ0नि0 हरिकेश कुमार राय मय उ0नि0 सूर्य पाल सिहं मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की मोटर साइकिल बरामद व सम्बन्धित चोर 1. राम अशीष यादव पुत्र रामकेश यादव निवासी सोफीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष, 2. आरिफ उर्फ अल्माज पुत्र ताहिर ग्राम डोडोपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को समय 12.15 बजे थाना परिसर कोतवाली से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राम अशीष यादव पुत्र रामकेश यादव निवासी सोफीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष,
2. आरिफ उर्फ अल्माज पुत्र ताहिर ग्राम डोडोपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1-मोटरसाइकिल नं यूपी - 50 बीए 2608 स्पलेन्डर प्लस।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 480/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 हरिकेश कुमार राय मय उ0नि0 सूर्य पाल सिहं मय हमराह हे0का0 पंकज सिंह का0 आनन्द कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़

07.थाना बिलरियागंज: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.08.25 को वादिनी निवासी बर्नापुर जगदीशपुर थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ

उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिये कि विपक्षी विट्टू कुमार पुत्र विनोद राम जो ग्राम पाही थाना मुबारकपुर आजमगढ शादी का झासा देकर वादिनी के साथ शारिरीक सम्बन्ध बना लिया तथा वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। मेरे साथ झगडा फसाद व गाली गुप्ता जान से मारने कि धमकी दे रहा है। प्रा0पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अशोक कुमार तिवारी को सुपुर्द की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 23.9.25 को उ0नि0 प्यारे राम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विट्टू कुमार पुत्र विनोद कुमार नि0ग्राम पाही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को अभियुक्त के घर से समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 270/2025 धारा 69/352/351(3)BNS व 67 B IT Act व 3/4 पास्को एक्ट थाना बिलरियागंज,जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- विट्टू कुमार पुत्र विनोद कुमार नि0ग्राम पाही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1- निरीक्षक अशोक कुमार तिवारी क्षेत्राधिकारी सगड़ी आजमगढ़
2- उ0नि0 प्यारे राम मय हमराह बिलरियागंज आजमगढ़
3- का0 छट्ठू साहनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
4- का0 उदयनाथ पासवान थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के 14 थानों में स्कूली छात्राओं को थाना प्रभारी बनाया गया।

1. जनपद के 14 थानें कोतवाली, सिधारी, महिला थाना, मुबारकपुर, बिलरियागंज, जीयनपुर, महराजगंज, रौनापार, अतरौलिया, कप्तानगंज, बरदह, फुलपूर, सरायमीर, तहबरपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत बालिकाओं/छात्राओं को थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष बनाया गया।

2. थाना जहानागंज, मुबारकपुर, गम्भीरपुर, निजामाबाद, सरायमीर और रानी की सराय ने महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति केन्द्र पर बुलाकर संवाद स्थापित किया गया व सरकारी योजनाएं तथा हेल्प लाइन नम्बर का प्रचार-प्रसार व पम्फलेट वितरित किया गया।

3. मन्दिर/दुर्गा पूजा पण्डालों/पंचायत भवन में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाएं व हेल्प लाइन नम्बर का प्रचार-प्रसार किया गया तथा फुट पेट्रोलिंग के दौरान रूक रूककर संवाद किया गया।

4. जनपद के प्रत्येक थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित स्कूल/कॉलेजों में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र, हेल्प लाइन नम्बर, सरकारी योजनाओं, महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों के बारे में व साइबर क्राइम के सम्बन्ध में जागरूक किया गया, तथा चिन्हित हॉट-स्पॉट स्थलों पर जनपद के समस्त एण्टी रोमियों टीम द्वारा सघन चेकिंग की गयी।

माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज–5.0 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2025 को शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के तहत शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस दिनांक- 23.09.2025 को जनपद आजमगढ़ में श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ0 अनिल कुमार** के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति **श्री चिराग जैन** व पर्यवेक्षण अधिकारी श्रीमती आस्था जायसवाल क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में चलाया गया। इस विशेष अभियान में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से **जनपद के 14 थानें कोतवाली, सिधारी, महिला थाना, मुबारकपुर, बिलरियागंज, जीयनपुर, महराजगंज, रौनापार, अतरौलिया, कप्तानगंज, बरदह, फुलपूर, सरायमीर, तहबरपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत बालिकाओं/छात्राओं को थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष बनाया गया, थाना जहानागंज, मुबारकपुर, गम्भीरपुर, निजामाबाद, सरायमीर और रानी की सराय ने महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति केन्द्र पर बुलाकर संवाद स्थापित किया गया व सरकारी योजनाएं तथा हेल्प लाइन नम्बर का प्रचार-प्रसार व पम्फलेट वितरित किया गया। मन्दिर/दुर्गा पूजा पण्डालों/पंचायत भवन में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाएं व हेल्प लाइन नम्बर का प्रचार-प्रसार किया गया तथा फुट पेट्रोलिंग के दौरान रूक रूककर संवाद किया गया। जनपद के प्रत्येक थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित स्कूल/कॉलेजों में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र, हेल्प लाइन नम्बर, सरकारी योजनाओं, महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों के बारे में व साइबर क्राइम के सम्बन्ध में जागरूक किया गया, तथा चिन्हित हॉट-स्पॉट स्थलों पर जनपद के समस्त एण्टी रोमियों टीम द्वारा सघन चेकिंग की गयी।**

प्रेस नोट

28 वीं अन्तर्जनपदीय वाराणसी जोन की 300 मीटर प्रोन पोजिशन (60 बाल) प्रतियोगिता में जनपद आजमगढ़ की महिला आरक्षी शिरीना बानों को प्रथम व महिला आरक्षी को द्वितीय स्थान प्राप्त, पुलिस अधीक्षक ने दोनो आरक्षियों का किया सम्मान।

अवगत कराना है कि 28 वीं अन्तर्जनपदीय वाराणसी जोन की एलार्म एफीशिएन्सी रेस, रायफल, रिवाल्वर, कार्बाइन पिस्टल प्रतियोगिता -2025 का आयोजन दिनांक 15.09.2025 से 19.09.2025 तक जनपद मीरजापुर में आयोजित कराया गया जिसमें जनपद आजमगढ़ की टीम ने भी प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में जनपद आजमगढ की महिला टीम ने जनपद मीरजापुर की महिला टीम को 300 मीटर प्रोन पोजिशन (60 बाल) प्रतियोगिता में हराकर प्रथम स्थान प्राप्त करके चल बैजन्ती (शील्ड) प्राप्त किया। साथ ही साथ आजमगढ़ की महिला आरक्षी पीएनओ/192050760 शिरीना बानो द्वारा 300 मीटर प्रोन पोजिशन (60 बाल) में ओवरआल प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं महिला आरक्षी/192523136 चमन खातून द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। उक्त दोनों महिला आरक्षियों द्वारा 10 मीटर एअर पिस्टल में भी शिरीन बानो द्वारा प्रथम स्थान एवं चमन खातून द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 23.09.2025 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार ने उक्त दोनो महिला आरक्षियों को पुलिस कार्यालय में सम्मानित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.09.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वार की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र रखने के आरोप में दोष करार देते हुए **2 वर्ष 4 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।**

थाना सरायमीरः अवैध असलहा रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को 2 वर्ष 4 माह के साधारण कारावास

➡ दिनांक- 04.06.2023 को वादी मुकदमा उ0नि0 विरेन्द्र कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजगमढ़ थाने पर लिखि तहरीर दी कि अभियुक्त लौटू मौर्या पुत्र स्व0 रामाश्रय मौर्या निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के कब्ज एक अदद अवैध कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 161/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 23.09.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त स सम्बन्धित **अभियुक्त लौटू मौर्या पुत्र स्व0 रामाश्रय मौर्या निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमग को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष 4 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।**